(9)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

कार्य परिषद की बैठक

दिनांक 13-01-2018 की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

दिनांक 13.01.2018 को प्रातः 11:30 बजे आहूत कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति –

1. प्रो. सुरेन्द्र दुबे	– कुलपति / अध्यक्ष
2. प्रो. आर. के. सैनी	– सदस्य
3. प्रो. शिव कुमार कटियार	– सदस्य
4. डा. नन्दलाल शुक्ला	– सदस्य
5. डा. एम. एम. राजपूत	– सदस्य
6. डा. यूनस श्रीवास्तव	– सदस्य
7. डा. आर. के. गुप्ता	– सदस्य
8. डा. सुरेश चन्द्र	– सदस्य
9. डा. सौरभ श्रीवास्तव	– सदस्य
10. डा. वी. के. सिंह	– सदस्य
11. डा. शिप्रा सक्सेना	– सदस्य
12. डा. सतीश कुमार	– सदस्य
13. प्रो. एम. एम. सिंह	– विशेष आमंत्री सदस्य
14. श्री धर्मपाल	– वित्त अधिकारी
15. श्री चन्द्रपाल तिवारी	– कुलसचिव / सचिव

कार्यवाही –

1. **कार्यपरिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 21.09.2017 एवं 03.11.2017 (आकस्मिक बैठक) की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि पर विचार।**

   परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठकों दिनांक 21.09.2017 एवं 03.11.2017 (आकस्मिक बैठक) की कार्यवाहियों की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

2. **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.10.2017 एवं 06.12.2017 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

   परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.10.2017 एवं 06.12.2017 की कार्यवाहियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

3. **प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 26.09.2017 (आपात बैठक) की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

   परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 26.09.2017 (आपात बैठक) की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

4. **अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 24.10.2017 (जालौन, झाँसी, ललितपुर) की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

   परिषद् द्वारा अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 24.10.2017 (जालौन, झाँसी, ललितपुर) की कार्यवाहियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

5. **सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 25.10.2017 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 25.10.2017 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

6. **श्री आशुतोष त्रिपाठी, प्रयोगशाला सहायक, बायोकैमिस्ट्री विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अपने पद से दिए गए त्यागपत्र को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– बु0वि0/ प्रशा0/ 2017/ 5986–92 दिनांक 13.10.2017 के द्वारा स्वीकृत किया गया। उपर्युक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

श्री आशुतोष त्रिपाठी, प्रयोगशाला सहायक, बायोकैमिस्ट्री विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अपने पद से दिनांक 15.09.207 को त्यागपत्र दिया गया। जिसे माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृति किया गया। माननीय कुलपति जी की अनुमति के उपरान्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– बु0 वि0/प्रशा0/2017/5986–92 दिनांक 13.10.2017 के द्वारा श्री आशुतोष त्रिपाठी का त्यागपत्र स्वीकृत किया गया। परिषद् द्वारा उपर्युक्त पत्र का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

7. **डा0 सतीश चन्द्र, सहायक आचार्य, बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अपने पद से दिए गए त्याग पत्र को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2017/6139–45 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा स्वीकृत किया गया। उपर्युक्त पत्र परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा0 सतीश चन्द्र, सहायक आचार्य, बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अपने पद से दिनांक 07.09.2017 को त्याग पत्र दिया गया। जिसे माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया। माननीय कुलपति जी की स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2017/6139–45 दिनांक 30.10. 2017 के द्वारा डा. सतीश चन्द्र का त्यागपत्र स्वीकृत किया गया। परिषद् द्वारा उपर्युक्त पत्र का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

8. **डा0 सुशील कुमार सिंह, सहायक आचार्य, शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अपने पद से दिए गए त्यागपत्र को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2017/6161–66 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा स्वीकृत किया गया। उपर्युक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा0 सुशील कुमार सिंह, सहायक आचार्य, शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अपने पद से दिनांक 02.03.2017 को त्यागपत्र दिया गया। जिसे माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया। माननीय कुलपति जी की स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– बु0वि0/प्रशा0/2017/6161–66 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा डा. सुशील कुमार सिंह का त्यागपत्र स्वीकृत किया गया। परिषद् द्वारा उपर्युक्त पत्र का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

9. **श्री पंकज निगम, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय, झाँसी को जनसूचना एवं आई0जी0आर0एस0 सम्बन्धी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं समुचित जबाब प्रेषित करने हेतु विधिक सलाहकार के रूप में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2017/6563–72 दिनांक 18.11.2017 के द्वारा नियुक्त किया गया। उपर्युक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।**

श्री पंकज निगम, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय, झाँसी को जनसूचना एवं आई0जी0आर0एस0 सम्बन्धी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं समुचित जबाब प्रेषित करने हेतु विधिक सलाहकार के रूप में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0 / प्रशा0 / 2017 / 6563–72 दिनांक 18.11.2017 के द्वारा नियुक्त किया गया। परिषद् उपर्युक्त पत्र / सूचना से अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

10. **डा0 अमृता सिंह, सहायक आचार्य, गृह विज्ञान विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0 / प्रशा0 / 2017 / 7060–66 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा 15.12.2017 से 14.12.2018 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया। उपर्युक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा0 अमृता सिंह, सहायक आचार्य, गृह विज्ञान विभाग द्वारा Banda University of Agriculture & Technology, Banda U.P. में Subject Matter Specialist (Home Science) पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गई एक वर्ष के अवकाश की प्रार्थना के कम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0 / प्रशा0 / 2017 / 7060–66 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा 15.12.2017 से 14.12.2018 तक अवैतनिक अवकाश कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया। परिषद् द्वारा उपर्युक्त पत्र का अनुमोदन किया गया।

11. **राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ को दो वर्षीय एम.एस.–सी. (खाद्य प्रसंस्करण) पाठ्यक्रम / विषय में निर्गत पत्र संख्या बु.वि. / सम्ब0 / 2015 / 71 दिनांक 28.04.2015 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि. / सम्ब0 / 2015 / 71 दिनांक 28.04. 2015 का अनुमोदन किया गया।

12. **आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा के पत्र संख्या–143 / अनापत्ति / 2009–10 दिनांक 27.10. 2009 के द्वारा प्रस्तावित कमला देवी महाविद्यालय कमलानगर–इटायल, गोहाण्ड, राठ,हमीरपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की गई के कम में आठ वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त सत्र 2018–19 की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण शुल्क एवं निरीक्षण मण्डल गठित करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से कमला देवी महाविद्यालय कमलानगर–इटायल, गोहाण्ड, राठ,हमीरपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की गई, के कम में आठ वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त सत्र 2018–19 की सम्बद्धता हेतु निरीक्षण शुल्क एवं निरीक्षण मण्डल गठित करने हेतु परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

13. **दिनांक 20.12.2017 को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में कार्यरत डा. रितु सिंह सहायक आचार्य की स्टेज 1 से स्टेज 2 पर सी.ए.एस. के अन्तर्गत होने वाली पदोन्नति के सम्बन्ध में आहूत चयन समिति की बैठक में हुई संस्तुति का बन्द लिफाफा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।**

दिनांक 20.12.2017 को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में कार्यरत डा. रितु सिंह सहायक आचार्य की स्टेज 1 से स्टेज 2 पर सी.ए.एस. के अन्तर्गत होने वाली पदोन्नति के सम्बन्ध में आहूत चयन समिति की बैठक में हुई निम्नलिखित संस्तुति की गई –

'आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के मूल्यांकन और अभ्यर्थी के अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात् डा. ऋतु सिंह को द्वितीय स्तर (Stage II AGP 7000/-) में प्रोन्नत करने की संस्तुति की जाती है। यह प्रोन्नति 25.11.2014 से लागू होगी।

14. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

14(1) हिन्दी विभाग में नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें कन्फर्म किए जाने सम्बन्धी कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र बु.वि./आर.सी./2017/4395 दिनांक 08.12.2017 परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

हिन्दी विभाग में नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें कन्फर्म किए जाने के सम्बन्ध में कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र बु.वि./आर.सी./2017/4395 दिनांक 08.12.2017 का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा निम्नलिखित शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर अंकित तिथि से स्थायी किया गया–

कमांक	प्राध्यापक का नाम एवं विभाग	पद	नियुक्ति की तिथि	स्थायीकरण तिथि
1	डा0 मुन्ना तिवारी,	सह आचार्य	19.10.2016	18.10.2017
2	डा0 पुनीत बिसारिया,	सह आचार्य	20.10.2016	19.10.2017
3	डा0 विनम्र सेन सिंह,	सहायक आचार्य	18.10.2016	17.10.2017
4	डा0 श्री हरि त्रिपाठी,	सहायक आचार्य	18.10.2016	17.10.2017
5	डा0 अचला पाण्डेय,	सहायक आचार्य	18.10.2016	17.10.2017
6	श्री नवीन चन्द्र पटेल,	सहायक आचार्य	18.10.2016	17.10.2017

14(2) बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग में नियुक्त सहायक आचार्य श्री अतुल गोयल एवं सुश्री इरा तिवारी की एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप विभागाध्यक्ष से प्राप्त गोपनीय आख्या के आधार पर स्थायीकरण पर विचार।

परिषद् द्वारा बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग में नियुक्त सहायक आचार्य श्री अतुल गोयल एवं सुश्री इरा तिवारी की एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप विभागाध्यक्ष से प्राप्त गोपनीय आख्या के आधार पर उनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि **(डा. अतुल गोयल – 22.11.2017 एवं सुश्री इरा तिवारी – 29.11.2017)** से स्थायी किए जाने का अनुमोदन किया गया।

14(3) डा. संदीप अग्रवाल, सहायक आचार्य, बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग को शोध उपाधि के उपरान्त कार्य परिषद के पूर्व निर्णयानुसार दिए जाने वाली वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में।

डा. संदीप अग्रवाल, सहायक आचार्य बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग को शोध उपाधि के उपरान्त परिषद् की बैठक दिनांक 16.02.2006 में लिए गए निर्णयानुसार दो वेतन वृद्धियां दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिषद् द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 16.02. 2006 में इस सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है तथा इसकी अधिसूचना संख्या बु.वि. /प्रशासन/2015/2671–77 दिनांक 15/16.09.2015 भी जारी किया गया है। अतः

उक्त आदेश के कम में ऐसे प्रकरणों को प्रशासनिक स्तर पर ही निस्तारित किया जाए बार – बार परिषद् के समक्ष न रखा जाए।

14(4) **स्व. श्री सुदर्शन प्रधान नलकूप चालक की सेवा के दौरान केन्सर की बीमारी से हुई मृत्यु के उपरान्त इनके आश्रितों को देयकों के भुगतान हेतु परिषद् की पूर्व बैठक द्वारा गठित समिति की संस्तुति का बन्द लिफाफा परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

स्व. श्री सुदर्शन प्रधान, नलकूप चालक की सेवा दौरान केन्सर की बीमारी से हुई मृत्यु के उपरान्त इनके आश्रितों को देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में सूच्य है कि श्री प्रधान की दो पत्नियां श्रीमती दमयन्ती प्रधान (प्रथम पत्नी) एवं श्रीमती सरोजनी प्रधान (द्वितीय पत्नी) हैं। इस सम्बन्ध में विधिक राय के उपरान्त प्रथम पत्नी को पेंशन एवं उसके पुत्र श्री आशीष प्रधान को नौकरी एवं द्वितीय पत्नी को फण्ड, बीमा एवं ग्रेच्युटी आदि के लाभ दिए जाने का निर्णय हुआ। जिसमें श्री आशीष प्रधान को विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त कियाँ गया। अन्य भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में परिषद् की बैठक दिनांक 21.09.2017 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित समिति गठित की गई –

1. डा. नन्दलाल शुक्ल – सदस्य, कार्य परिषद्
2. डा. राकेश कुमार गुप्ता – सदस्य, कार्य परिषद्
3. श्री राकेश कुमार – उप कुलसचिव (प्रशासन)

उपर्युक्त समिति द्वारा दिनांक 06.12.2017 को अपराह्न 3:00 बजे बैठक आयोजित की गई जिसमें समस्त प्रपत्रों को संज्ञान में लेते हुए निम्नांकित संस्तुति की गई –

> **'अतः मृतक आश्रित के देयक भी नियमानुसार वैध पत्नी (श्रीमती दमयन्ती प्रधान) को प्रदान किये जा सकते हैं। इसी वैध नियम का अनुपालन किया जाये।'**

उपर्युक्त समिति की गई संस्तुति का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

14(5) **TEQIP – III के कार्यक्रमों का अनुमोदन किए जाने के सम्बन्ध में विचार।**

TEQIP – III के समन्वयक प्रो. आर. के. सैनी – संकायाध्यक्ष इंजीनियरिंग द्वारा प्रस्तुत समस्त कार्यक्रमों का अनुमोदन परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से किया गया।

14(6) **शिक्षक संघों, छात्र संगठन एवं सार्वजनिक जनमानस की मॉग पर स्वामी विवेकानन्द जी की मूर्ति स्थापना पर विचार।**

उपयुक्त प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से परिषद् द्वारा स्वीकार करते हुए कुलसचिव को अग्रेतर कार्रवाई किए जाने हेतु अधिकृत गया।

14(7) **प्रो. एस. पी. सिंह, निदेशक एकेडमिक द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी तथा खेती हेतु पानी के उपयोगिता, भू जन की खोज एवं पानी की गुणवत्ता आदि के लिए कोई लैब नहीं है जिससे काफी परेशानियां होती है। इस सम्बन्ध में 'Water Analysis and Testing Lab of Ground Water' की स्थापना का प्रस्ताव परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

प्रो. एस. पी. सिंह निदेशक – एकेडमिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय हेतु इसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार करने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया गया–

1. संकायाध्यक्ष – विज्ञान
2. विभागाध्यक्ष – भू विज्ञान विभाग
3. कुलसचिव

14(8) **दिनांक 18 मार्च 2017 को विश्वविद्यालय के सभागार में डा. पुष्पा गौतम एवं श्री नीरेन्द्र सिंह यादव तथा अन्य के मध्य हुई मारपीट की घटना में प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त गठित उच्च स्तरीय जॉच समिति की जॉच आख्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

उपर्युक्त घटना में गठित उच्च स्तरीय जांच समिति (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री एस. सी. वर्मा, प्रो. पदमकान्त – आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, श्री जे. पी. सिंह – सेवानिवृत्त, पुलिस उपमहानिरीक्षक) द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या पर परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया –

1. **डा. पुष्पा गौतम** – कनिष्ठ सहायक (निलम्बित) के सम्बन्ध में जॉच समिति की आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि उनके वर्तमान विभाग को परिवर्तित करते हुए चेतावनी के साथ बहाल किया जाए।
2. **श्री उमेश करौरिया** – नैत्यिक सहायक (निलम्बित) के सम्बन्ध में प्रस्तुत जांच आख्या पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि श्री करौरिया स्थायी कर्मचारी हैं, अतः इनके सम्बन्ध में एक अनुशासन समिति गठित कर अग्रिम कार्रवाई की जाए।
3. स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत **श्री नीरेन्द्र सिंह यादव** – प्रयोगशाला सहायक (निलम्बित) के प्रकरण में परिषद् द्वारा गठित जॉच समिति की जॉच आख्या प्रस्तुत की गई। परिषद् जॉच समिति की जॉच आख्या से अवगत हुई तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु इसे स्वीकार किया।
4. स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत **श्री मुकेश शर्मा** – नैत्यिक सहायह (निलम्बित) के प्रकरण में परिषद् द्वारा गठित जॉच समिति की जॉच आख्या प्रस्तुत की गई। परिषद् जॉच समिति की जॉच आख्या से अवगत हुई तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु इसे स्वीकार किया।
5. स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत **श्री संतोष कुशवाहा** – प्रयोगशाला सहायक (निलम्बित) के प्रकरण में परिषद् द्वारा गठित जॉच समिति की जॉच आख्या प्रस्तुत की गई। परिषद् जॉच समिति की जॉच आख्या से अवगत हुई तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु इसे स्वीकार किया।
6. स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत **श्री अशोक कुमार** – अनुचर (निलम्बित) के प्रकरण में परिषद् द्वारा गठित जॉच समिति की जॉच आख्या प्रस्तुत की गई। परिषद् जॉच समिति की जॉच आख्या से अवगत हुई तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु इसे स्वीकार किया।

7. स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत **श्री अरविन्द वर्मा** – अनुचर (निलम्बित) के प्रकरण में परिषद् द्वारा गठित जॉच समिति की जॉच आख्या प्रस्तुत की गई। परिषद् जॉच समिति की जॉच आख्या से अवगत हुई तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु इसे स्वीकार किया।

14(9) **डा. विनीत कुमार** – सहायक आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 06.02.2017 से 5.02.2019 तक दो वर्ष का अवैतनिक अवकाश लिया गया। इसके उपरान्त उनका चयन बी.आर. अम्बेडकर केन्द्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में हुआ। डा. विनीत द्वारा बी.आर. अम्बेडकर केन्द्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में चयनित होने पर दिनांक 01.01.2018 को कार्यभार ग्रहण करते हुए पूर्व में लिए गए अवैतनिक अवकाश को समाहित करने का अनुरोध किया। इस प्रकरण पर कार्यालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव को परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(चन्द्रप्रकाश तिवारी)
कुलसचिव

(प्रो. सुरेन्द्र दुबे) 13/1/18
कुलपति